मिसिल संख्या 3 (4)/2018–स्थापना
भारत सरकार Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare
विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan
पूसा Pusa, नई दिल्ली – 110012

दिनांक 24 फरवरी, 2023

Vacancy Circular

Sub.: Filling up of One (01) vacancy of Photographic Officer in the Level 7 (Rs.44900-142400), in the Directorate of Extension by promotion failing which by deputation (including short term contract) - regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancy of Photographic Officer in the Level 7 (Rs.44900-142400), (Pre-revised PB-2 9300-34800+4600GP) (Group-B) (Gazetted) (Non-Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by promotion failing which by deputation (including short term contract).

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers Under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Statutory Organisations or Autonomous Bodies or Agricultural Universities or Recognised Research Institutes or Semi-Government organizations:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with a five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6, (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience , namely:-

Essential:

(i) Senior Secondary School Examination pass from a recognized Board;
(ii) Diploma in Photography awarded by a recognized university or institute: and
(iii) two years professional experience in various fields of photography.

OR

(i) Senior Secondary School Examination pass from a recognized Board;
(ii) Certificate Course in Photography from a recognised university or institute: and
(iii) three years professional experience in various fields of photography.

Desirable:

Bachelor's degree in Fine Arts with Photography as a subject from a recognised university or institute.

Continued on next page 2...

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.]

It is requested that the vacancy may kindly be accorded due publicity and the applications, with details of service particulars in the enclosed pro-forma as per Annexure, from suitable and willing Officials, along with duly attested photocopies of ACRs/APARs for the last 5 years, may kindly be forwarded to the undersigned, by name within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

While forwarding the applications, it may also please be verified and certified that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance proceedings are pending or being contemplated against the officer. The integrity of the Officials may also be certified. It may also please be made clear that in the event of selection, the candidate will not be allowed to withdraw his/her candidature and will be relieved immediately. Incomplete applications or application received without up-to-date ACRs/APARs dossier will not be considered.

24/2/2020

(Deepa Pande)
Dy. Director (Admin)
011-25847717 & 011-25846467

Distribution:

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. All Attached/Subordinate Offices of the Department of Agriculture Cooperation & Famers Welfare.
3. Chief Controller of Accounts, Deptt of Agriculture, Coop. & Farmers Welfare, 16A, Akbar Road, Hutment, New Delhi.
4. Controller General of Accounts, Deptt. of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003.
5. DG, Directorate of Resettlement, West Block IV, R K Puram, New Delhi 110066.
6. Comptroller and Auditor General of India, 9 Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002.
7. Nodal Officer, DOE for uploading on DAC/DOE website.
8. Guard file.
9. Notice Board, DOE., Pusa, New Delhi.

मिसिल संख्या 3 (4)/2018–स्थापना
भारत सरकार Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare
विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan
पूसा Pusa, नई दिल्ली – 110012

दिनांक 24 फरवरी, 2023

रिक्ति परिपत्र

विषयः विस्तार निदेशालय में स्तर-7 (रु. 44900-142400) में फोटोग्राफिक अधिकारी के एक पद को पदोन्नति द्वारा पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भरने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में फोटोग्राफिक अधिकारी का एक पद स्तर-7 (रु.44900-142400), (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + 4600 ग्रेड वेतन) (समूह 'ख') (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) को पदोन्नति द्वारा पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भरा जाना है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या भारत सरकार के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत या क़ानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रूपए 35,400-1,12,400) या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य में उस पद पर पांच वर्ष कि नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या भारत सरकार के उपकमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारीः

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण करते हो; या
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (रू. 35,400–1,12,400) या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य में उस पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:–

आवश्यक:

1 (क) मान्यता बोर्ड से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा;
(ग) फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों में दो वर्ष का अनुभव

या

2 (क) किसी मान्यता बोर्ड से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में प्रमाणपत्र पाठयकम;
(ग) फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्र में तीन साल का वृतिक अनुभव

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एक विषय के रूप में फोटोग्राफी के साथ ललित कला में बैचलर की डिग्री।

नोट 1:फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारीजो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में अन्य बाह्य कॉडर के पद सहित सामान्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।]

अनुरोध है कि रिक्ति का सम्यक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक कर्मियों के आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा में उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछली 5 वर्षों की विधिवत सत्यापित गोपनीय रिपोर्ट की फोटो प्रतियों के साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के नाम पर भेजें।

आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण सत्य है और कार्मिक के विरुद्ध सतर्कता से संबंधित न तो कोई मामला लंबित है और न ही विचाराधीन है। कार्मिक की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि नियुक्ति होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों और बिना गोपनीय रिपोर्ट के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

दीपा
24/2/2023
(दीपा पांडे)
उप निदेशक (प्रशासन)
011-25847717 एवं 011-25846467

वितरण:–

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय।
2. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संबध/अधीनस्थ कार्यालय।
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 16 ए, अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली।
4. महालेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली – 110003.
5. महानिदेशक, पुर्नवास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक–4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
6. भारत सरकार के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110002.
7. सूचना पट्ट, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली।
8. नोडल अधिकारी, विस्तार निदेशालय को डीएसी व डीओई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
9. गार्ड फाईल